संख्या- 01/ 2020/ 20 /46-2-20-102 (8)/2019

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2020

विषय- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत रू.200.00 करोड (रूपए दो सौ करोड मात्र) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-2118 यू.पी.एफ./ प्र.प्र. (लेखा)/56/2020 दिनांक 01.01.2020 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-निजी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण-30- निवेश/ ऋण में अवशेष रू.500.00 करोड में से उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु लेखाशीर्षक 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण-30-निवेश/ ऋण पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9) स्वीकृत रू.200.00 करोड (रूपए दो सौ करोड मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते है कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उपरोक्त कार्य हेतु उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. को तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्षकी अवधि में की जाएगी।
- ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त धनराशि के आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाएगा।
- ब्याज की पहली किश्त ऋण आहरण की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का आगणन ऋण आहरण की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का आंगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिये किया जाएगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन्ही कार्यो/मदों में किया जाएगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा ब्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

2. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप मुख्य लेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान या उनके द्वारा ब्याज जमा करते हुए उसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को निम्न प्रकार से अवश्य भेजा जाए:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त/ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4. चीनी आयुक्त ऋण आहरण तथा प्रतिदान का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँगें।

5. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

7. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचनल हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जाए।

8. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण-30- निवेश/ ऋण के नामे डाला जाएगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-871 /दस-2020 दिनांक 07 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-01 /2020/ 20 (1) / 46-2-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ ।
(4) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)					
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन					
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)					
अनुदान संख्या व नाम-24 चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग					वित्तीय वर्ष 2019-20
(धनराशि लाख रूपयों में)					
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूँजीगत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बजट	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज 04-चीनी 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज 05-निजी एवं निगम क्षेत्रकी चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण 30-निवेश/ऋण	**50000**	**50000**	**26000**	**20000.00**	**30000.00**
6860-04-190-05-30	**50000**	**50000**	**26000**	**20000.00**	**30000.00**
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूँजीगत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि(9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज 04-चीनी 101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज 03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज 30-निवेश/ऋण	**50000**	**76000**	**26000**	**20000.00**	**70000.00**
6860-04-101-03-30	**50000**	**76000**	**26000**	**20000.00**	**70000.00**

- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है।
- प्रदेश की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराए जाने के उद्देश्य से चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना लागू की गई थी। वर्तमान में उक्त योजना समाप्त हो चुकी है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू.500.00 करोड की आवश्यकता नहीं है।
- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अतिरिक्त रू.200.00 करोड की आवश्यकता है तथा उपरोक्त धनराशि के पुनर्विनियोग होने के उपरान्त अवशेष रू.300.00 करोड समर्पित की जाएगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

-2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: आर.ई. 253/ई/दस-2019 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव, वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 2513 (1) 46-2-19-102 (8) /2019 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियन्त्रक अधिकारी)
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 (दो प्रतियों में)

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।